

ए.12018/40/2016—एम.एच./एन.सी.डी.

भारत सरकार


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

एनसीडी-1

अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में
सहायक जन सम्पर्क अधिकारी पद हेतु प्रारूप भर्ती नियम संबंधी
जनसूचना।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा. सं.
एबी 14017/61/2008 स्था. (आर आर) के अनुपालन में अखिल
भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान, मुंबई में सहायक जन
सम्पर्क अधिकारी पद हेतु भर्ती नियम का प्रारूप सर्वसाधारण के
सूचनार्थ संलग्न है।

2. प्रारूप भर्ती नियमों पर कोई आपत्ति /टिप्पणी करने या सुझाव
देने के इच्छुक स्टेकहोल्डर, जनसूचना के प्रकाशन की तारीख से 30
दिनों की अवधि के अंदर अपने सुझाव अवर सचिव (डी.एस.) स्वास्थ्य
एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कमरा नं. 430 'सी' विंग स्वास्थ्य एवं
परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड नई दिल्ली.
110108 को लिखित रूप में या इस ई-मेल पते
s.dharminder@nic.in पर भेज सकते हैं।


(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नंत्र 011-2306 2666

[भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2020

अधिसूचना

सा.का.नि. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, सहायक जन संघक अधिकारी भर्ती नियम 2020 को, जहां तक उनका संबंध सहायक जन संघक अधिकारी के पद से है, उन वातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, में सहायक जन संघक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रांत :-

(i) इन नियमों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा और पुनर्वास संस्थान, मुम्बई, में सहायक जन संघक अधिकारी (समूह-ख पद) भर्ती नियम 2020 कहा जायेगा।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य वातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरहता - वह व्यक्ति -

- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है।
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय-विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखवद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

<u>पद का नाम</u>	<u>पदों की संख्या</u>	<u>वर्गीकरण</u>	<u>वेतन मैट्रिक्स में लेवल</u>	<u>अनुसूची चयन या अचयन पद</u>	<u>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।</u>	<u>सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं</u>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक जन संपर्क अधिकारी	01* (एक) (2020) ‘कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह ‘ख’ अराजपत्रित (अनुसूचिवीय)	लेवल-6	लागू नहीं	<p>30 वर्ष और इससे कम आयु (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों व अनुदेशों के अनुसरण में सामान्य श्रेणी के सरकारी सेवकों के मामले में 40 वर्ष तक शिथिलनीय और अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग के सरकारी सेवकों के मामले में 45 वर्ष तक शिथिलनीय)</p> <p>टिप्पणी 1: आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी न कि असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,</p>	<p>अनिवार्यः</p> <p>(1) मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय अथवा समकक्ष से डिग्री और</p> <p>(2) जन संपर्क/ पत्रकारिता में स्नातकोत्तर</p> <p>टिप्पणी 1: अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में शैक्षिक योग्यता कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है, बशर्ते की कारणों को लिखित में अभिलेखित किया जाए।</p> <p>टिप्पणी 2: अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के अन्यथा सुयोग्य अभ्यर्थियों के मामले में शैक्षिक योग्यता कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है, बशर्ते की कारणों को लिखित में अभिलेखित किया जाए तथा यदि किसी चरण में वे भी कर्मचारी चयन आयोग</p>

				<p>लद्धाख लाहौल एवं स्पिति जिले के संघ राज्य क्षेत्र तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले पंगी सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त की अंतिम तारीख।</p> <p>टिप्पणी 2: रोजगार कार्यालय से अभ्यर्थियों के मामले में आयु सीमा निर्धारित करने की तारीख वह तारीख होगी जिस तारीख को रोजगार कार्यालय से नाम प्रस्तुत करने को कहा गया है।</p>	<p>का यह मानना है कि इस वर्ग के अपेक्षित अनुभव रखने वाले पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध होने की संभावना नहीं है तो कर्मचारी चयन आयोग के विवेक पर शैक्षिक योग्यता में ढील दी जा सकती है।</p>
क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।			
(8) लागू नहीं	(9) दो वर्ष	(10) 100% सीधी भर्ती द्वारा			

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति/नियमितीकरण समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11) लागू नहीं	(12) विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना <ol style="list-style-type: none">1. अपर निदेशक –अध्यक्ष2. उपनिदेशक, -सदस्य3. परामर्शक (संज्ञाहरण) – सदस्य4. संबंद्ध विभागाध्यक्ष –सदस्य	(13) लागू नहीं

ए.11018/40/2016 एमएच॥

प्रेम नारेन
अवर सचिव, भारत सरकार